

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :- वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फैक्स नं० 01733-230537

e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांक:-
सेवा में:-

11035

दिनांक:- 15-12-2023

प्रधान, गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी,
गुरुद्वारा मानक टाबरा पातशाही-10,
गांव मानक टाबरा, जिला पंचकूला।

विषय:-

Diversion of 0.00935 Ha. of Forest Land for access to Gurudwara Manak Tabra sahib Patshahi-10 along Raipur Rani- Trilokpur/Morni Road, village and PO Manak Tabra Distt. Panchkula. (FP/HR/APPROACH/119790/2021)

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वन विभाग, भारत सरकार के पत्र क्र० 9-HRB093/2023-CHA दिनांक 01.12.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा 0.00935 है० वन भूमि के उपयोग हेतु सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः उक्त पत्र के निर्देशानुसार, शर्तों एवं नियमों का पालन करते हुये प्रतिपूर्ति पौधारोपण एवं अन्य मदों की राशि का चालान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जनरेट करके उक्त राशि उचित बैंक के माध्यम से कैम्पा हैड में जमा करवाकर बैंक की रसीद मण्डल कार्यालय में देवें ताकि उसी अनुसार उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जा सके। स्वीकृत स्कीम के अनुसार 113785/- रुपये की राशि Executive Engineer, Provl. Division PWD B&R Br. Panchkula द्वारा जमा करवाई जानी है।

क्र० सं०	विवरण	राशि (Rs.)
1	Compensatory Afforestation Charges	62100
2	Additional Compensatory Afforestation	0
3	Supervisory/ Over head/ Miscellaneous Charges (10%)	6210
4	Catchment Area Treatment	20493
5	Tree Felling Charges	11364
6	Net present Value of Forest land	8955
7	Fencing charges	4663
	Total	113785

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी-पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।

पृ०क्र०: 11036

दिनांक: 15-12-2023

एक प्रति अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०सी०ए०, हरियाणा, पंचकूला को भारत सरकार के पत्र क्र० 9-HRB093/2023-CHA दिनांक 01.12.2023 के सम्बन्ध में बिन्दू नं० 2. (vi) के सम्बन्ध में एफ०आर०ए० प्रपत्र की प्रति आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Maidone
15-12-23

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी-पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।

13/12/2023